तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **शर्मा बबीता अरूण कुमार बनाम श्रीमती गायत्री देवी** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/369**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.23	अपीलार्थीया की ओर से श्री हरलाल सिंह एडवोकेट द्वारा अपना वकालतनामा, प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस लिये जाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अपीलार्थीया स्वयं भी उपस्थित जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री हरलाल सिंह द्वारा की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि अपीलार्थीया उपरोक्त प्रकरण को आगे नही चलाना चाहती है तथा इसी स्तर पर निस्तारित करवाकर अपील वापस लेना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीया स्वयं ही अपनी अपील में आगे कार्यवाही नहीं चाहती है तथा इसी स्तर पर खारिज करवाना चाह रही है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। 28/6/23 **(अन्तरसिंह नेहरा)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	